[2018] 7 एस. सी. आर 919

विनय शर्मा और ए. एन. आर.

वी.

एन. सी. टी. दिल्ली राज्य

(समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) नं. 671-673 2017 का)

में।

(आपराधिक अपील सं। 608 & 609-610 2017 का)

09 जुलाई, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, आर. भानुमति और

अशोक भूषण, जे. जे.]

समीक्षा-निर्भया मामला-सामूहिक बलात्कार और एक युवक की हत्या

महिला-सभी चार अभियुक्तों को निचली अदालत ने दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई-उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा की पुष्टि-सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई अपील-दो याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर समीक्षा याचिकाएं-आरोपी-आयोजितः पुनरीक्षण याचिकाओं में, याचिकाकर्ता अदालत से गुण-दोष के आधार पर अपीलों की फिर से सुनवाई करने के लिए नहीं कह सकते हैं, जिन्हें पहले ही नोट किया जा चुका है, उन पर विचार किया जा चुका है और खारिज कर दिया गया है-उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपराधिक अपीलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई थी, जिसमें उन्हें सभी संभावित प्रस्तुतियों को उठाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था और मुख्य फैसले में उन पर विधिवत विचार किया गया था-तत्काल मामले में, ऐसा कोई आधार नहीं बनाया गया है जो फैसले की समीक्षा करने के लिए कोई आधार प्रस्तुत कर सके-सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013-Or.XLVII आर. 1-भारत का संविधान-कला। 137 .

पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. निर्णय की समीक्षा करने के लिए एक आवेदन पर हल्के में विचार नहीं किया जाना चाहिए और यह न्यायालय अपनी समीक्षा का प्रयोग कर सकता है। अधिकारिता केवल तभी होती है जब उन आधारों को प्रदान किए गए अनुसार बनाया जाता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XLVII नियम 1 में। नियम के अनुसार, आपराधिक कार्यवाही में समीक्षा की अनुमति केवल इस आधार पर दी जाती है -

अभिलेख के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि। [पैरा 20,21] [927-सी डी, एफ]

2. हमला करने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुति

पीडब्लू-1 एकमात्र चश्मदीद गवाह, जो घटना में घायल भी हुआ था, के साक्ष्य पर इन समीक्षा याचिकाओं में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पीडब्लू-1 के महाभियोग साक्ष्य के लिए सभी प्रस्तुतियाँ तब की गईं जब

अपीलों की सुनवाई योग्यता के आधार पर की जाती थी। इस अदालत ने सभी पर विचार किया था

3. याचिकाकर्ताओं की यह दलील कि बस एक्स. पी.-1 को गलत तरीके से फंसाया गया है, को भी खारिज कर दिया गया है। ये सब पैराग्राफ 98-107 में निर्णय देते समय इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुतियों पर विचार किया गया था। इस अदालत ने खारिज कर दिया है

याचिकाकर्ताओं का निवेदन कि यह बस के रोपण का मामला था, अभिलेख पर साक्ष्य से बस को घटना में शामिल पाया गया। [पैरा 29] [933-जी-एच]

4. तीनों की मौत के बारे में उठाए गए सभी विवाद

पीड़ित की घोषणाओं पर विस्तार से विचार किया गया है। तीनों मृत्यु घोषणाओं पर विचार करते हुए, अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के आलोक में, इस न्यायालय ने माना कि तीनों मृत्यु की कगार पर हैं।

घोषणाएँ सत्य, स्वैच्छिक और सुसंगत होती हैं। [पैरा 35] [935 ई-एफ]

5. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बहाना नं। 1 कि वह एस. सी. सी. इकाई द्वारा आयोजित संगीत कार्यक्रम में उपस्थित थे

उनके इलाके में डी. डी. ए. पार्क में चर्च को विस्तार से बनाया गया है।

डी. डब्ल्यू.-5 के साक्ष्य का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता नं. 1 , डी. डब्ल्यू.-7 और डी. डब्ल्यू.-9 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता नं. 1 यह स्वीकार्य नहीं था। [पैरा 39] [936-जी-एच; 937-ए-सी] 6. याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई बहाना याचिका सं। 1 बस (Ext.P/1) से उठाए गए पैरों के निशान के आलोक में भी माना जाता था। पीडब्लू-46 वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फिंगरप्रिंट), सी. एफ. एस. एल., सी. बी. आई. ने जांच की

"क्यू. 1" और "क्यू. 4" के रूप में चिह्नित बस से उठाए गए संयोग के निशान बाएं हथेली के निशान और दाहिने अंगूठे के समान पाए गए।

याचिकाकर्ता का प्रभाव सं। 1 . साक्ष्य का उल्लेख करने के बाद

पीडब्लू-46 और विशेषज्ञ रिपोर्ट (विस्तार। पीडब्लू-46/डी), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता विनय शर्मा बनाम की उपस्थिति को स्थापित करता है।

एन. सी. टी. दिल्ली राज्य

नहीं। 1 बस में। इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा बहाना की याचिका पर विचार नहीं किया गया था। [पैरा 40] [937-सी-ई]

7. इसी तरह, याचिकाकर्ता नं. द्वारा वीडियो क्लिपिंग पर भरोसा किया गया। 1 (Ext.DW-10/1) पर उस निर्णय में विचार किया गया था जिसमें इस न्यायालय ने कहा था कि याचिकाकर्ता 08 पर डी. डी. ए. जिला उद्यान में नहीं थेः 16 16.12.2012 पर अपराह्न। [पैरा 41] [937-एफ]

8. याचिकाकर्ता की किशोरता का मुद्दा नं। 1 माना जाता है

अभिलेख पर सामग्री के आधार पर विचारण न्यायालय और विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 किशोर नहीं था। निचली अदालत ने पूरी तरह से संतुष्ट होने पर कि याचिकाकर्ता किशोर नहीं है, द्वारा प्रस्तुत ऑसिफिकेशन परीक्षण के लिए आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

याचिकाकर्ता संख्या 1। [पैरा 42] [937-जी-एच] 9. याचिकाकर्ता संख्या 2 की इस दलील पर भी निचली अदालत ने विचार किया और उसे खारिज कर दिया कि घटना के समय वह नाबालिग था। निचली अदालत ने अपने समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर सही निष्कर्ष निकाला था कि याचिकाकर्ता संख्या 2

किशोर नहीं। प्रत्यर्थी ने ठीक ही उल्लेख किया है

निचली अदालत की कार्यवाही दिनांक 10.09.2013। इस संबंध में यह निवेदन निर्णय की समीक्षा के लिए कोई आधार भी प्रस्तुत नहीं करता है। [पैरा 43] [938-ए-बी]

10. अपीलार्थियों (याचिकाकर्ताओं) द्वारा दायर आपराधिक अपील

प्रस्तुतियाँ। आपराधिक अपीलों की सुनवाई लगभग 38 दिनों तक जारी रही। अपीलार्थियों/याचिकाकर्ताओं ने विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी थीं। जिन पर मुख्य निर्णय में विधिवत विचार किया गया था। इन पुनरीक्षण याचिकाओं में ऐसा कोई आधार नहीं बनाया गया है जो निर्णय की पुनरीक्षण के लिए कोई आधार प्रस्तुत कर सके। [पैरा 44] [938-बी-डी]

कमलेश वर्मा बनाम। मायवती और अन्य (2013) 8 एस. सी. सी. 320: [2013] 11 एस. सी. आर. 25; विक्रम सिंह उर्फ विक्की वालिया और एक अन्य वी. पंजाब राज्य और एक अन्य (2017) 8 एस. सी. सी. 518-पर निर्भर था।

बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1980) 2 एस. सी. सी. 684; सौ चंद्र कांटे और एक अन्य बनाम। शेख हबीब (1975) 1 एस. सी. सी. 674 पी. एन. ईश्वर अय्यर और अन्य बनाम पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय (1980) 4 एस. सी. सी. 680:

[1980] 2 एस. सी. आर. 889-संदर्भित।

[2018] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

(1980) 2 एस. सी. सी. 684

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

(1975) 1 एस. सी. सी. 674

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[1980] 2 एससीआर 889

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[2013] 11 एससीआर 25

उस पर भरोसा करें

पैरा 22

(2017) 8 एस. सी. सी. 518

उस पर भरोसा करें

पैरा 23

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः याचिका की समीक्षा करें

(अपराधी) सं। 671-673 2017 की आपराधिक अपील संख्या 608 और 2017 की 609 610 में।

उच्च न्यायालय के 13.03.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 की आपराधिक अपील संख्या 1399 और 1414 और 2013 की मृत्यु संदर्भ संख्या 6 में नई दिल्ली में।

ए. पी. सिंह, वी. पी. सिंह, सुश्री गीता चौहान, सुश्री प्रतिमा रानी,

पवन त्रिवेदी, सुश्री सुरेखा श्रीवास्तव, एस. पी. सिंह, सी. एम. शर्मा, एम. एम. कश्यप के लिए हर्षित भदौरिया, अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए।

सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर एड. , सुश्री सुप्रिया जुनेजा, सुश्री दृष्टि

हरपलानी, कुमार वैभव, मृणाल श्रीवास्तव, करण खेतान, समीर चौधरी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था अशोक भूषण, जे. 1. ये समीक्षा याचिकाएँ हैं -

दो आवेदकों विनय शर्मा द्वारा दायर-आरोपी नंबर 1 और पवन कुमार गुप्ता-अभियुक्त सं. 2 ने इस न्यायालय के दिनांक 1 के फैसले की समीक्षा की, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया था, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मृत्यु संदर्भ की पुष्टि की गई थी और याचिकाकर्ताओं द्वारा दोषसिद्धि और मृत्यु के आदेश के खिलाफ दायर आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया गया था।

वाक्य।

2. दोनों याचिकाकर्ताओं पर 23 लोगों के बलात्कार और हत्या का मुकदमा चलाया गया था।

वर्ष की आयु की महिला-निर्भया (बदला हुआ नाम)। निचली अदालत ने याचिकाकर्ताओं को तीन अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया और चारों अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाई। 2013 का मृत्यु संदर्भ संख्या 6 निचली अदालत द्वारा उच्च न्यायालय को भेजा गया था। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा अलग-अलग आपराधिक अपीलें भी दायर की गईं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से याचिकाकर्ताओं, विनय शर्मा, 2017 की आपराधिक अपील संख्या 609 में अपीलकर्ता संख्या 1, पवन कुमार गुप्ता, अपीलकर्ता विनय शर्मा बनाम सहित सभी चार दोषियों को मौत की सजा की पुष्टि की।

दिल्ली राज्य [अशोक भूषण, जे.]

2017 की आपराधिक अपील Nos.608 में नंबर 1। अपीलों को इस न्यायालय के दिनांक 05.05.2017 के फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया था। आई. डी. 1 दिनांकित उक्त निर्णय से व्यथित याचिकाकर्ताओं ने, जिसके द्वारा सभी अपीलों को खारिज कर दिया गया था, आई. डी. 1 दिनांकित निर्णय की समीक्षा के लिए अनुरोध करते हुए ये समीक्षा याचिकाएं दायर की हैं।

3. हमने विद्वान वकील श्री ए. पी. सिंह को पेश होते सुना है।

5. उपरोक्त के अलावा, श्री ए. पी. सिंह द्वारा कई अन्य तर्क दिए गए हैं जिन्हें हम धारावाहिक रूप में नोट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। श्री सिंह प्रस्तुत करता है कि अभियोजन एजेंसी के अस्तित्व के एकमात्र उद्देश्य के साथ जांच और मुकदमा चलाया गया है। जांच कमजोर और निर्दोष लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के दुर्भावनापूर्ण प्रयास में लगी हुई है ताकि असली दोषियों को पकड़ने के लिए उनकी अक्षमता को छिपाया जा सके। राजनीतिक वर्ग पक्षपातपूर्ण राजनीतिक उद्देश्य के लिए जांच एजेंसियों का उपयोग कर रहा है।

6. पीडब्लू. 1, उनकी जिरह के दौरान उनके बयान Ex.PW-1/ए का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्होंने एमएलसी Ex.PW में लोहे की छड़ के उपयोग, बस के विवरण, हमलावरों के नाम का खुलासा नहीं किया था।

51 / ए या उसकी शिकायत में Ex.PW-1/ए। बस, एक्स. पी.-1 को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उक्त मार्ग पर चलने वाली सभी संभावित बसों की जांच करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की ठीक से जांच नहीं की गई थी। मीडिया से बचने और सबूत लगाने की सुविधा के लिए बस को पुलिस स्टेशन के बजाय त्यागराज स्टेडियम ले जाया गया।

7. यह कि तीन मृत्यु घोषणाएँ मनगढ़ंत हैं और विचार से बाहर रखे जाने के योग्य हैं और मृत्यु घोषणाएँ [2018] 7 एस. सी. आर.

8. एमएलसी Ex.PW-49 में दर्ज बयान में अभियोजक ने न तो किसी आरोपी का नाम लिया है और न ही आरोपी व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही लोहे की छड़ के तथ्य का उल्लेख किया है। अभियोजक 21.12.2012 पर इतनी लंबी मृत्यु घोषणा नहीं दे सकता था जब वह लगातार मॉर्फिन पर थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, पीडब्लू-30 द्वारा 25.12.2012 पर, हाव-भाव और लेखन के माध्यम से दर्ज की गई तीसरी मृत्यु घोषणा को गलत चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र और वीडियोग्राफी के अभाव के आरोपों से विरोधाभासी माना जाता है। पीडब्लू-1 ने अपने बयान में लोहे की छड़ के उपयोग का उल्लेख नहीं किया था। अगर लोहे की छड़ को वास्तव में योनि के माध्यम से डाला जाता, तो यह पहले आंतों से पहले गर्भाशय को नष्ट कर देता। बाहर निकाला गया। उसके गर्भाशय में छड़ से संबंधित कोई चोट नहीं थी और चिकित्सा विज्ञान भी उनके दावे में अभियोजन पक्ष की सहायता नहीं करता है।

9. डी. एन. ए. परीक्षण को सटीक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वहाँ रक्त आधान था क्योंकि अभियोजक को रक्त की आवश्यकता होती थी और जब रक्त आधान होता है। रक्त के मिश्रण से, डी. एन. ए. प्रोफाइल के भिन्न होने की संभावना है।

10. उच्च न्यायालय इस बात की सराहना करने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ता नंबर 1, विनय शर्मा घटना की तारीख और समय पर एक संगीतमय नाटक में थे।

उनके इलाके में चर्च की एस. सी. सी. इकाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम और वे थे

वहाँ 16.12.2012 पर रात 8.15 बजे से 11/12 बजे तक। म्यूजिकल शो में याचिकाकर्ता नंबर 1 की उपस्थिति बचाव पक्ष के गवाहों द्वारा देखी गई है जिन्होंने अदालत के समक्ष गवाही दी थी। राम बाबू, डी. डब्ल्यू.-10 ने भी याचिकाकर्ता नंबर 1 के मोबाइल फोन से कार्यक्रम की वीडियोग्राफी की थी जिसे निचली अदालत के समक्ष पेश किया गया था।

11. याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अस्थिकरण परीक्षण के लिए आवेदन को निचली अदालत ने गलत तरीके से खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि वास्तव में उनका जन्म 01.03.1995 पर हुआ था, लेकिन उनके पिता द्वारा दी गई उनकी जन्म तिथि 01.03.1994 थी, जो केवल उन्हें एम. सी. डी. स्कूल में भर्ती कराने के उद्देश्य से थी। घटना के समय याचिकाकर्ता केवल 17 वर्ष 8 महीने और 15 दिन का था।

12. याचिकाकर्ता संख्या 2 की वास्तविक जन्म तिथि 08.10.1996 है और वह घटना की तारीख को नाबालिग भी था। याचिकाकर्ता आदतन विनय शर्मा बनाम नहीं थे।

अपराधी। पिछले कई दशकों से कई डकैतों ने आत्मसमर्पण किया है और खुद में सुधार किया है।

13. याचिकाकर्ताओं की दलीलों का खंडन करते हुए राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि

याचिकाकर्ताओं ने पहले से ही इस न्यायालय के समक्ष अपीलों की लंबी सुनवाई में सभी संभावित प्रस्तुतियाँ की हैं जिन पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया है, समीक्षा याचिका कुछ और नहीं बल्कि याचिकाकर्ताओं द्वारा योग्यता के आधार पर अपीलों पर फिर से बहस करने का प्रयास है जो कानून के तहत अनुमेय नहीं है। पुनरीक्षण याचिकाओं पर विचार करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है। जहाँ तक याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का निवेदन है कि भारत में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाए, श्री लूथरा का कहना है कि इन पुनर्विचार याचिकाओं में उक्त निवेदन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एस. सी. सी. 684 मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा मृत्युदंड को पहले ही बरकरार रखा जा चुका है। वह प्रस्तुत करता है कि मृत्युदंड अभी भी क़ानून की पुस्तक में होने के कारण याचिकाकर्ताओं के लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि इस देश में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाए। मृत्युदंड का उन्मूलन एक विधायी कार्य है और जब तक संसद एक संशोधन अधिनियम पारित नहीं करती है, तब तक अदालतों को इस पर विचार नहीं करना चाहिए।

उक्त प्रस्तुति।

याचिकाकर्ताओं द्वारा इंगित किया गया। इस निवेदन पर आते हुए कि बस, पी-1 श्री लूथरा प्रस्तुत करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज के अलावा जहां बस को होटल के सामने से दो बार गुजरते हुए देखा गया था, वहाँ अन्य सबूत थे, जैसे कि उंगलियों के निशान, घाव के दाग और बस से प्राप्त अन्य वस्तुएँ जो साबित करती हैं कि बस घटना में शामिल थी। श्री लूथरा ने अनुच्छेद 104 और 105 का उल्लेख किया है जहाँ इस तर्क को इस न्यायालय द्वारा नोट और खारिज कर दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. मृत्यु घोषणाओं के संबंध में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए प्रस्तुतिकरणों पर, श्री लूथरा प्रस्तुत करते हैं कि सभी

मृत्यु घोषणाओं से संबंधित तर्कों पर विचार किया गया है और

इस न्यायालय द्वारा दिनांकित निर्णय के पैराग्राफ 148 से 192 में निपटा गया और याचिकाकर्ताओं को उन पर पुनर्विचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिन पर इस न्यायालय द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है और जिन्हें खारिज कर दिया गया है। डॉ. रश्मि आहूजा द्वारा दर्ज किए गए मामले के इतिहास की पहली मृत्यु घोषणा के संबंध में, इस न्यायालय ने सभी पहलुओं पर विचार किया है और पहले ही यह निर्णय ले लिया है कि तथ्यों पर ध्यान देने में कोई कमजोरी नहीं थी जैसा कि अभियोजक द्वारा उस समय खुलासा किया जा सकता था जब वह तुरंत पहले दर्दनाक अनुभव से गुजरी थी।

17. एमएलसी या पीडब्लू-1 के बयान में लोहे की छड़ के उपयोग का उल्लेख न करने पर भी इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया है और इस न्यायालय ने

पकड़े गए और साक्ष्य से लोहे की छड़ का उपयोग पाया गया। अभियोजक को चोट पहुँचाने के लिए लोहे की छड़ के उपयोग से संबंधित पीडब्लू 1 के बयान पर भी इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया है और ध्यान दिया गया है। इस न्यायालय द्वारा रक्त आधान सहित डी. एन. ए. रिपोर्ट की विस्तार से जांच की गई है जिस पर अनुच्छेद 233-234 में भी विचार किया गया है। विनय शर्मा के इस संकेत के संबंध में कि वह, प्रासंगिक समय में, एक संगीत कार्यक्रम में थे, यह अदालत ने अपने दिनांकित 05.05.2017 के फैसले में बचाव पक्ष के साक्ष्य पर विचार करने के बाद बहाना की याचिका पर विचार किया और उसे खारिज कर दिया। एक ही तर्क

पुनरीक्षण याचिका में इसे उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता नंबर 1, विनय शर्मा अपराध के समय नाबालिग थे, श्री लूथरा ने निचली अदालत के दिनांक 1 के आदेश का उल्लेख किया जिसमें उस आयु सत्यापन रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है।

विनय और पवन की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और वे आई. ओ. द्वारा दायर आयु सत्यापन रिपोर्ट पर विवाद नहीं करते हैं। अभियोजक ने प्रथम श्रेणी के अभियुक्त विनय शर्मा के प्रवेश पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ प्रथम उपस्थित विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर की प्रमाणित प्रति रखी है और निचली अदालत ने सभी सबूतों पर विचार करने के बाद कहा था कि अपराध के समय विनय शर्मा की आयु 18 वर्ष से अधिक थी। इस दावे पर कि पवन एक किशोर था, श्री लूथरा ने दिनांकित 10.01.2013 आदेश का उल्लेख किया जिसमें पवन की आयु सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हुई है और प्रमाणित प्रतियां भी रिकॉर्ड में दाखिल की गई हैं। रिपोर्ट में इन दोनों अभियुक्तों के माता-पिता के लिखित बयान का उल्लेख किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों की उम्र की पुष्टि की है। निचली अदालत में यह निर्णय लेने में कोई कमजोरी नहीं थी कि दोनों बालिग थे और निचली अदालत उसी के अनुसार आगे बढ़ी। याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए निवेदन में कोई सार नहीं है।

18. हमने पक्षों की दलीलों पर विचार किया है और गौर किया है

अभिलेखों को। 19. इन समीक्षा याचिकाओं में उठाई गई दलीलों में प्रवेश करने से पहले, अनुच्छेद 137 के तहत इस न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए उपलब्ध दायरे और आधारों को दोहराना उपयोगी है। ऑर्डर XLVII

समीक्षा से संबंधित उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 का नियम 1 इस प्रकार हैः

" आई. न्यायालय अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सकता है, लेकिन सिविल कार्यवाही में समीक्षा के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि

संहिता के आदेश XLVII, नियम 1 में उल्लिखित आधार, और एक आपराधिक कार्यवाही में एक स्पष्ट त्रुटि के आधार को छोड़कर

रिकॉर्ड का चेहरा "।

20. किसी निर्णय की समीक्षा करने के लिए एक आवेदन पर हल्के में विचार नहीं किया जाना चाहिए और यह न्यायालय अपने समीक्षा अधिकार क्षेत्र का उपयोग केवल तभी कर सकता है जब वे आधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XLVII नियम 1 में प्रदान किए गए हों। सो चंद्र कांटे में यह न्यायालय और एक अन्य बनाम। शेख हबीब, (1975) 1 एस. सी. सी. 674 ने न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर के माध्यम से समीक्षा पर बोलते हुए पैरा 10 में निम्नलिखित कहा हैः

" 10. किसी निर्णय की समीक्षा एक गंभीर कदम है और इसके लिए अनिच्छुक सहारा केवल तभी उचित है जब एक स्पष्ट चूक या पेटेंट गलती या ऐसी गंभीर त्रुटि पहले न्यायिक विफलता के कारण हुई हो। अलग-अलग सलाह के माध्यम से, पुराने और खारिज किए गए तर्कों की केवल पुनरावृत्ति, अप्रभावी रूप से ढके हुए आधार पर दूसरी यात्रा या अप्रासंगिक आयात की छोटी गलतियाँ स्पष्ट रूप से हैं

अपर्याप्त "।

21. नियम के अनुसार, आपराधिक कार्यवाही में समीक्षा की अनुमति केवल रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि के आधार पर दी जाती है। यह

पी. एन. ईश्वर अय्यर और अन्य बनाम। पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, (1980) 4 एस. सी. सी. 680 ने आपराधिक और दीवानी कार्यवाहियों के संबंध में इस न्यायालय की समीक्षा अधिकारिता की जांच करते हुए पैरा 34 और 35 में निम्नलिखित टिप्पणियां की थींः

" 34. यह नियम, अपने चेहरे पर, दीवानी कार्यवाही में आदेशों की समीक्षा के लिए व्यापक आधार प्रदान करता है, लेकिन आपराधिक कार्यवाही के आधार को "रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटियों" तक सीमित करता है। यदि बिल्कुल भी हो, तो न्यायिक त्रुटि से बचने के लिए कानून की चिंता [2018] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब जीवन या स्वतंत्रता खतरे में हो तो इसे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि नागरिक दंड अक्सर कम दर्दनाक होते हैं। इसलिए, यह मान लेना उचित है कि नियमों के निर्माता आपराधिक आदेशों या निर्णयों पर प्रतिबंधात्मक समीक्षा का इरादा नहीं रख सकते थे। इसके विपरीत होने की संभावना है। मान लीजिए कि एक आरोपी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है और "मृतक" अदालत में दिखाई देता है और अदालत को दर्ज की गई गवाही के दुखद विश्वासघात का पता चलता है। क्या अदालत फांसी की सजा की समीक्षा करने और उसे रद्द करने में असहाय है? हम नहीं सोचते हैं। पुनरीक्षण की शक्ति अनुच्छेद 137 में है और यह है -

अदालत की अनुमति से, रिकॉर्ड पर लाया जाए। यदि न्याय न्यायाधीशों को किसी महत्वपूर्ण सामग्री की अनुमति देने के लिए बुलाता है, तो यह रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है और यदि स्पष्ट त्रुटि है, तो सुधार आवश्यक हो जाता है। 35. उद्देश्य सादा है, भाषा लोचदार है और एक आवश्यक शक्ति की व्याख्या स्वाभाविक रूप से विस्तृत होनी चाहिए। मूल शक्ति अनुच्छेद 137 से प्राप्त की गई है और आपराधिक के लिए उतनी ही व्यापक है जितनी

दीवानी कार्यवाही के लिए। यहां तक कि नियम में वाक्यांश विज्ञान में अंतर (आदेश 40 नियम 2) को भी उसी क्षेत्र को शामिल करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए न कि एक कृत्रिम विचलन को उत्पादक बनाने के लिए। विसंगति। यदि अभिव्यक्ति "अभिलेख" का अर्थ पढ़ा जाता है, तो इसके अर्थगत विस्तार में, अदालत की अनुमति के साथ बाद में भी अभिलेख पर लाई गई किसी भी सामग्री में, यह बाद की घटनाओं, नए प्रकाश और अन्य आधारों को शामिल करेगा जो हम आदेश 47 नियम 1, सी. पी. सी. में पाते हैं। हम दीवानी और आपराधिक कार्यवाही में क्षेत्र की बराबरी करने में कोई अपूरणीय कठिनाई नहीं देखते हैं जब उसी से समीक्षा शक्ति का आह्वान किया जाता है।

स्रोत "।

22. समीक्षा क्षेत्राधिकार के दायरे पर इस टी द्वारा कई मामलों में विचार किया गया है जहां अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों को बार-बार किया गया है। कमलेश वर्मा बनाम मायवती और अन्य (2013) 8 एस. सी. सी. मामले में इस टी के फैसले का उल्लेख करना पर्याप्त है, जहां इस न्यायालय ने समीक्षा के दायरे पर विस्तार से विचार किया है। आर. ए. एस. 17,18,20.1 और 20.2 निम्नलिखित निर्धारित किए गए हैं:

विनय शर्मा बनाम। दिल्ली राज्य [अशोक भूषण, जे.]

" 17. एक समीक्षा याचिका में, यह अदालत के लिए सबूत की पुनः सराहना करने और एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए खुला नहीं है, भले ही वह हो

संभव है। साक्ष्य के मूल्यांकन पर आए निष्कर्ष पर पुनर्विचार याचिका में तब तक हमला नहीं किया जा सकता जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि रिकॉर्ड के सामने या उसके समान किसी कारण से कोई त्रुटि स्पष्ट है। केरल एस. ई. बी. बनाम में यह न्यायालय। हाइटेक इलेक्ट्रोथर्मिक्स एंड हाइड्रोपावर लिमिटेड निम्नलिखित रूप में आयोजितः (एस. सी. सी पी. 656, पैरा 10)

" 10. ..... पुनरीक्षण याचिका में यह न्यायालय के लिए साक्ष्य की पुनः समीक्षा करने और एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए खुला नहीं है, भले ही वह संभव हो। बोर्ड के विद्वान वकील ने सबसे अच्छा हमें प्रभावित करने की कोशिश की कि पक्षों के बीच आदान-प्रदान किया गया पत्राचार इस न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है। हमें डर है कि इस तरह के निवेदन को पुनर्विचार याचिका में आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अभिलेख पर साक्ष्य का मूल्यांकन पूरी तरह से अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। यदि प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन पर, अदालत तथ्य के निष्कर्ष को दर्ज करती है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है, तो वह निष्कर्ष नहीं हो सकता है - पुनरीक्षण याचिका में तब तक आरोपित किया जाता है जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि अभिलेख के सामने या उसके समान किसी कारण से स्पष्ट त्रुटि है। हमारे समक्ष यह तर्क नहीं दिया गया है कि अभिलेख में कोई त्रुटि स्पष्ट है। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता को साक्ष्य के मूल्यांकन के प्रश्न पर बहस करने की अनुमति देना।

यह एक समीक्षा याचिका को भेष बदलकर अपील में बदलने के बराबर होगा।

18. समीक्षा किसी मूल विषय की पुनः सुनवाई नहीं है। की शक्ति

समीक्षा को अपीलीय शक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है जो एक उच्च न्यायालय को एक अधीनस्थ द्वारा की गई सभी त्रुटियों को सुधारने में सक्षम बनाता है।

अदालत। पुराने और खारिज किए गए तर्क की पुनरावृत्ति निष्कर्षित निर्णयों को फिर से खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैन स्टूडियो लिमिटेड में यह न्यायालय।

वी. शिन सैटेलाइट पब्लिक कं. लिमिटेड, निम्नानुसार आयोजितः (एससीसी पीपी। 504 505 , पैरा 11-12)

" 11. जहाँ तक योग्यता पर आवेदक की शिकायत का संबंध है, प्रतिद्वंद्वी के विद्वान वकील का यह कहना सही है कि वस्तुतः आवेदक वही राहत चाहता है जो

मुख्य मामले पर बहस करते समय इसकी मांग की गई थी और इसे अस्वीकार कर दिया गया था। एक बार इस तरह की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिए जाने के बाद, कोई समीक्षा याचिका नहीं होगी जो मूल मामले की पुनः सुनवाई को परिवर्तित कर दे। यह तय कानून है कि समीक्षा की शक्ति [2018] 7 एस. सी. आर. नहीं हो सकती।

अपीलीय शक्ति के साथ भ्रमित जो एक उच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सभी त्रुटियों को सुधारना। यह नहीं है। किसी मूल विषय की पुनः सुनवाई। पुराने और अस्वीकृत की पुनरावृत्ति

निष्कर्षित निर्णयों को फिर से खोलने के लिए तर्क पर्याप्त नहीं है। द.

समीक्षा की शक्ति का प्रयोग अत्यधिक सावधानी, सावधानी के साथ किया जा सकता है।

और सावधानी और केवल असाधारण मामलों में।

12. जब इसमें आवेदक द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रार्थना की जाए।

उस समय किया गया था जब मध्यस्थता याचिका थी सुना गया और अस्वीकार कर दिया गया, एक ही राहत एक द्वारा नहीं मांगी जा सकती है

समीक्षा याचिका दायर करके अप्रत्यक्ष विधि। इस तरह की याचिका, मेरे

राय, 'दूसरी पारी' की प्रकृति में है जो अस्वीकार्य है

और अनुचित और प्रदान नहीं किया जा सकता है।

9999

20.1 . जब समीक्षा बनाए रखने योग्य होगीः

(i) नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज जो, उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद, ज्ञान के भीतर नहीं था

याचिकाकर्ता या उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका;

((ii) अभिलेख के सामने स्पष्ट गलती या त्रुटि;

((ग) कोई अन्य पर्याप्त कारण।

"किसी भी अन्य पर्याप्त कारण" शब्दों की व्याख्या में की गई है

छज्जू राम बनाम। नेकी और मोरान मार में इस अदालत द्वारा अनुमोदित

बासेलियोस कैथोलिकस बनाम। सबसे रेव. मार पॉलोस एथानासियस कोइसका अर्थ है "कम से कम नियम में निर्दिष्ट आधारों के अनुरूप पर्याप्त कारण"। उन्हीं सिद्धांतों को दोहराया गया है

भारत संघ बनाम। संदूर मैंगनीज एंड आयरन ऑरेस लिमिटेड

20.2 . जब समीक्षा बनाए रखने योग्य नहीं होगीः

(i) पुराने और अस्वीकृत तर्क की पुनरावृत्ति पर्याप्त नहीं है -

मामले की सुनवाई। (iv) समीक्षा तब तक बनाए रखने योग्य नहीं है जब तक कि भौतिक त्रुटि प्रकट न हो।

आदेश के सामने, इसकी मजबूती को कम करता है या परिणाम में

न्याय की विफलता।

(v) समीक्षा किसी भी तरह से छद्म रूप में एक अपील नहीं है जिसके तहत एक विनय शर्मा v.

गलत निर्णय को फिर से सुना जाता है और ठीक किया जाता है लेकिन केवल इसके लिए झूठ बोला जाता है

पेटेंट त्रुटि।

(vi) इस विषय पर केवल दो विचारों की संभावना नहीं हो सकती है -

समीक्षा के लिए एक आधार।

(vii) अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि नहीं होनी चाहिए एक त्रुटि जिसे खोजना और खोजना होता है।

(viii) अभिलेख पर साक्ष्य का मूल्यांकन पूरी तरह से अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, इसे समीक्षा याचिका में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(ix) समीक्षा तब कायम नहीं रखी जा सकती जब मुख्य मामले पर बहस करते समय मांगी गई उसी राहत को नकार दिया गया हो।

23. इसी पीठ ने हममें से एक (न्यायमूर्ति अशोक हान) के माध्यम से विक्रम सिंह उर्फ विक्की वालिया, एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और दूसरे (2017) 8 एस. सी. सी. 518 में आपराधिक कार्यवाही में समीक्षा शब्दकोश के दायरे और दायरे पर विचार करने का अवसर प्राप्त किया। 23 वें फैसले में निम्नलिखित कहा गया हैः

" 23. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि समीक्षा क्षेत्राधिकार के दायरे, दायरे और मापदंडों को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। आम तौर पर ए

अभियुक्त की दोषसिद्धि या सजा जो समीक्षा के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। यह न्यायालय केवल समीक्षा करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा। जब न्यायिक त्रुटि के कारण पहले के निर्णय में कोई स्पष्ट चूक या पेटेंट की गलती हो गई हो। एक त्रुटि स्पष्ट होनी चाहिए

रिकॉर्ड के सामने न्याय की विफलता की ओर ले जाता है

आदेश 40 नियम 1 के साथ पठित अनुच्छेद 137 के तहत समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें। चेहरे पर एक भौतिक त्रुटि प्रकट होनी चाहिए

न्याय की विफलता में परिणाम के साथ रिकॉर्ड का "।

24. हम सबसे पहले इस देश में मृत्युदंड की नीति के संबंध में श्री ए. पी. सिंह के निवेदन पर विचार करते हैं। [2018] 7 एस. सी. आर. की संविधान पीठ।

बचन सिंह (उपरोक्त) मामले में अदालत ने आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत प्रदान किए गए दंड की संवैधानिक वैधता की जांच की। दंड संहिता, अनुच्छेद 19 और 21 के संवैधानिक प्रावधानों और नागरिक और प्राकृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा में मृत्युदंड के अस्तित्व को विस्तार से स्पष्ट करने के बाद, इस अदालत ने माना कि दंड में निहित मृत्युदंड संवैधानिक रूप से मान्य है। अनुच्छेद 132 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 132. संक्षेप में, सवाल यह है कि मौत की सजा है या नहीं।

किसी भी दंडात्मक उद्देश्य को पूरा करना एक कठिन, जटिल और

असहनीय मुद्दा। इसने मजबूत, अलग-अलग विचारों को जन्म दिया है। दंड संहिता की धारा 302 में मृत्युदंड के रूप में विवादित प्रावधान की संवैधानिकता का परीक्षण करने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के आलोक में तर्कसंगतता

संविधान, हमारे लिए किसी भी स्पष्ट राय को व्यक्त करना आवश्यक नहीं है, एक या दूसरे तरीके से, इन दोनों में से कौन सा विरोधी है

उन्मूलनवादियों और प्रतिधारणवादियों के विचार सही हैं। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि तथ्य यह है कि तर्क के व्यक्ति, सीख रहे हैं

और प्रकाश इस मुद्दे पर अपनी राय में तर्कसंगत और गहराई से विभाजित हैं, याचिकाकर्ता की राय को अस्वीकार करने के लिए दूसरों के बीच एक आधार है।

यह तर्क कि विवादित प्रावधान में मृत्युदंड को बनाए रखना, पूरी तरह से कारण और उद्देश्य से रहित है। यदि, इसके विपरीत उन्मूलनवादियों के दृष्टिकोण के बावजूद, एक बहुत बड़ा खंड

समाजशास्त्रियों, विधान निर्माताओं, न्यायविदों, न्यायाधीशों और प्रशासकों सहित दुनिया भर के लोग अभी भी मूल्य और योग्यता में दृढ़ता से विश्वास करते हैं।

संसद में जन प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रसारित समकालीन जनमत ने पिछले तीन दशकों में बार-बार मौत की सजा के क्षेत्र को समाप्त करने या विशेष रूप से प्रतिबंधित करने के लिए हाल ही में किए गए सभी प्रयासों को खारिज कर दिया है, यदि मौत की सजा अभी भी हत्या या कुछ अन्य मामलों के लिए एक मान्यता प्राप्त कानूनी मंजूरी है। दुनिया के अधिकांश सभ्य देशों में हत्या के प्रकार, अगर! भारतीय संविधान के निर्माता पूरी तरह से जागरूक थे क्योंकि हम

वर्तमान में वे भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या के लिए सजा के रूप में मृत्युदंड के अस्तित्व के थे, यदि 35 वीं रिपोर्ट और विधि आयोग की बाद की रिपोर्ट

मृत्युदंड को बनाए रखने का सुझाव देना, और सिफारिश करना

दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन और सम्मिलित करना उस संहिता की नई धारा 235 (2) और 354 (3) में विनय शर्मा बनाम के लिए दोषसिद्धि पर सजा सुनाने और सजा देने की प्रक्रिया का प्रावधान है।

हत्या और अन्य मृत्युदंड के अपराध संसद के समक्ष थे और संभवतः उसके द्वारा विचार किया गया था जब 1898 की संहिता का संशोधन किया गया था और इसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि हत्या के लिए एक वैकल्पिक दंड के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान, दंड संहिता की धारा 302, अनुचित है और जनहित में नहीं है। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि धारा 302 में विवादित प्रावधान न तो अनुच्छेद 19 के पत्र या लोकाचार का उल्लंघन करता है।

25. श्री सिंह का यह कहना कि वर्ष 1966 में यू. के. की संसद द्वारा मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है और कई लैटिन अमेरिकी देशों और ऑस्ट्रेलियाई राज्यों ने भी मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, हमारे देश की कानून पुस्तिका से मृत्युदंड को समाप्त करने का कोई आधार नहीं है। अब तक मृत्युदंड दंड संहिता में बना हुआ है

न्यायालयों को उचित मामलों में मृत्युदंड देने में कोई अवैधता करने के लिए नहीं ठहराया जा सकता है।

27. अब, श्री सिंह द्वारा जांच और अभियोजन एजेंसियों पर हमला करने वाली दलीलों पर आते हुए, यह कहना पर्याप्त है कि प्रस्तुतियाँ और तर्क सामान्य प्रकृति के होते हैं और किसी भी ठोस आधार पर आधारित नहीं होते हैं ताकि मुकदमे में ऐसी किसी भी त्रुटि को इंगित किया जा सके ताकि किसी भी निर्णय की समीक्षा करने के लिए कोई आधार प्रस्तुत किया जा सके।

पीडब्लू-1 का साक्ष्य तब दिया जाता था जब अपीलों की सुनवाई योग्यता के आधार पर की जाती थी। इस न्यायालय ने पैराग्राफ 65-97 और 425 से 434 में पीडब्लू-1 के साक्ष्य पर हमला करने वाली सभी दलीलों पर विचार किया था। इस न्यायालय ने प्रासंगिक साक्ष्यों की जांच करने के बाद पीडब्लू-1 के साक्ष्य पर भरोसा किया था। समीक्षा में याचिकाओं में, याचिकाकर्ता अदालत से गुण-दोष के आधार पर उन अपीलों की फिर से सुनवाई करने के लिए नहीं कह सकते हैं जिन्हें पहले ही नोट किया जा चुका है, जिन पर विचार किया जा चुका है और जिन्हें खारिज कर दिया गया है।

29. श्री सिंह की यह दलील कि बस एक्स. पी.-1 को गलत तरीके से फंसाया गया है, को भी खारिज कर दिया गया है। ये सभी प्रस्तुतियाँ थीं

पैराग्राफ 98-107 में निर्णय देते समय इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया। इस अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया है कि

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह बस के रोपण का मामला था, रिकॉर्ड पर साक्ष्य से बस को घटना में शामिल पाया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30. श्री वी. के. सिंह की दलील है कि बस नं. डी. एल. 1 पी. सी. 0449 (एक्स. पी/1) को गलत तरीके से फंसाया गया है और सीसीटीवी फुटेज पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और इस पहलू पर इस न्यायालय द्वारा ठीक से विचार नहीं किया गया है। श्री सिंह द्वारा समीक्षा याचिका के पैरा (एम) में अब उठाए गए सटीक बिंदुओं पर इस न्यायालय द्वारा पैरा (98) से (113) में विचार किया गया था और पैरा (435) से (439)। पैरा (101) में, इस न्यायालय ने पीडब्लू-76 गौतम रॉय, एचओडी, कंप्यूटर सेल, फोरेंसिक डिवीजन के साक्ष्य का उल्लेख किया है जो

उसने दो सीलबंद पार्सल में एक पेन ड्राइव में प्राप्त सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। इस न्यायालय ने पैरा (98) से (113) में कहा है -

दिल्ली हवाई अड्डे पर होटल के मालिक पीडब्लू 67 प्रमोद कुमार झा की उपस्थिति में सीसीटीवी फुटेज की पुनर्प्राप्ति के संबंध में साक्ष्य और बस नं। डी. एल. 1 पी. सी. 0449 (एक्स. पी/1)।

31. बस सं. की भागीदारी दिखाने के लिए। डी. एल. 1 पी. सी. 0449 (एक्स. पी/1), पैरा (108) से (113) में, इस न्यायालय ने भी विस्तार से विचार किया है।

पीडब्लू-81, बस के मालिक दिनेश यादव और पीडब्लू-16, बिड़ला विद्या निकेतन स्कूल, पुष्प विहार के प्रबंधक (प्रशासन) राजीव जाखमोला के साक्ष्य ने कहा है कि बस नं. डी. एल. 1 पी. सी. 0449 (एक्स. पी/1) नियमित रूप से राम सिंह (मृत आरोपी) द्वारा चलाया जाता था और वह बस का चालक था।

32. बस सं. की भागीदारी। डी. एल. 1 पी. सी. 0449 (एक्स. पी/1) था

बस नं. 1 से उठाई गई भौतिक वस्तुओं के डी. एन. ए. प्रोफाइल के मिलान द्वारा भी पुष्टि की गई। डी. एल. 1 पी. सी. 0449 (एक्स. पी/1) जो पीड़ित और शिकायतकर्ता के अनुरूप पाए गए। पैरास में

बस की तीसरी बाईं पंक्ति से बरामद सीट कवर और बस के खून से सना हुआ सीट कवर और पीड़ित के डीएनए प्रोफाइल के साथ बस के फर्श से बरामद बालों का गुच्छ अपराध में बस की संलिप्तता को स्थापित करने वाले निर्विवाद सबूत माने गए। इस न्यायालय द्वारा बस की संलिप्तता के बारे में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए मौखिक और वैज्ञानिक साक्ष्य पर विस्तार से विचार किया गया है। याचिकाकर्ता/अभियुक्त उसी बिंदु को फिर से नहीं दोहरा सकते हैं। 33. श्री सिंह ने अन्य बातों के साथ-साथ तीन अंतिम घोषणाओं की विश्वसनीयता के बारे में विभिन्न दलीलें दी हैंः - (i) पहली मृत्यु घोषणा (Ext.PW-49/A) और विनय शर्मा v में किसी भी अभियुक्त के नाम का खुलासा करने में विफलता।

तीसरी मृत्यु घोषणा) इसे संदिग्ध बनाती है और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है। 34. पीड़ित ने तीन मृत्यु घोषणाएँ कीः - (i) पीडब्लू द्वारा दर्ज किया गया बयान-पीड़ित के अस्पताल में भर्ती होने के तुरंत बाद 49 डॉ. रश्मि आहूजा द्वारा दर्ज किया गया बयान; (ii) पीडब्लू द्वारा दर्ज किया गया मृत्यु घोषणा (Ex.PW-27/ए)-27 एस. डी. एम. उषा चतुर्वेदी द्वारा 21.12.2012 पर दर्ज किया गया बयान; और (iii) मृत्यु

पीडब्लू द्वारा दर्ज घोषणा (Ex.PW-30/डी)-पवन कुमार, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, 25.12.2012 पर 1: 00 पी. एम. बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा और इशारों और लेखन द्वारा उत्तरों को दर्ज करके। पहली मृत्यु घोषणा (Ex.PW-49/A) में, अभियोजक ने कहा है कि दो से अधिक पुरुषों ने उसके साथ बलात्कार किया, उसके होंठों, गालों और स्तन पर काटा और उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाए। पीडब्लू-27 द्वारा दर्ज की गई दूसरी मृत्यु घोषणा (Ex.PW-27/ए) में, पीड़ित ने पूरी घटना को बहुत विस्तार से सुनाया है, जिसमें प्रत्येक आरोपी की भूमिका, बलात्कार को निर्दिष्ट किया गया है।

कई व्यक्तियों द्वारा किया गया, उसके गुप्तांगों में लोहे की छड़ डालना, बस का विवरण, की गई डकैती और दोनों पीड़ितों को नग्न अवस्था में चलती बस से बाहर फेंकना। 25.12.2012 पर 1: 00 अपराह्न, पीडब्लू-30 पवन कुमार, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पीड़ित से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछकर और इशारों और लेखन के माध्यम से उत्तर प्राप्त करके बयान दर्ज किया। तीसरा बनाते समय

घोषणा करते हुए, पीड़ित ने अपनी लिखावट में लिख कर अभियुक्त के नामों को प्रकट करने की भी कोशिश की। " राम सिंह, मुकेश, विनय, अक्षय, विपिन, राजू "।

35. तीन मृत्यु घोषणाओं के संबंध में उठाए गए सभी तर्कों पर पैरा (148) से (192) और पैरा (395) से (417) में विस्तार से विचार किया गया है। सभी तीन मरने वाली घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए, कुएं के प्रकाश में

तय किए गए सिद्धांतों के अनुसार, इस न्यायालय ने माना कि सभी तीन मृत्यु घोषणाएं सत्य, स्वैच्छिक और सुसंगत हैं। जहाँ तक तीसरी मृत्यु घोषणा का संबंध है, इस न्यायालय ने पैरा (408) से (412) में यह अभिनिर्धारित किया कि संकेतों, इशारों या सिर हिलाकर की गई मृत्यु घोषणा साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है और यह उचित है।

पीडब्लू-30 पवन कुमार, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा ध्यान रखा गया था और पीड़ित द्वारा किए गए संकेतों, इशारों द्वारा बहुविकल्पीय प्रश्नों के जवाब में दर्ज की गई तीसरी मृत्यु घोषणा स्वीकार्य है

सबूत। तीसरी मौत की घोषणा में, पीड़ित ने आरोपी व्यक्तियों के नाम भी लिखे "राम सिंह, मुकेश, विनय, अक्षय, विपिन, राजू"। जहाँ तक अभियुक्त विपिन का नाम अभियोजक [2018] 7 एस. सी. आर. द्वारा लिखा गया है।

तीसरी मृत्यु घोषणा में इस न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा (150) और (188) में विस्तृत रूप से विचार किया गया है।

36. एमएलसी, Ex.PW-49/ए में लोहे की छड़ के उपयोग का उल्लेख न करने पर भी इस न्यायालय ने अपने फैसले में ध्यान दिया है और इस न्यायालय ने दिया है

एम. एल. सी. में कोई गलती न मिलने के कारण, Ex.PW-49/A। श्री सिंह की इस दलील को भी खारिज कर दिया गया है कि 21.12.2012 पर अभियोजक अपनी मृत्यु घोषणा दर्ज करने के लिए उपयुक्त नहीं था। अभियोजक को दिए गए मॉर्फिन इंजेक्शन के संबंध में, डॉक्टर के बयान, इंजेक्शन के समय और मॉर्फिन के प्रभाव को स्पष्ट रूप से नोट किया गया और विचार किया गया और दूसरी मृत्यु घोषणा में कोई दोष नहीं पाया गया। इस न्यायालय द्वारा निर्णय में इस निवेदन को नोट करने, विचार करने और उस पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ताओं को एक ही मुद्दे को बार-बार दोहराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीडब्लू-1 के बयान में लोहे की छड़ के उपयोग का उल्लेख न करने का भी इस न्यायालय द्वारा विस्तार से उल्लेख किया गया है। कि 21.12.2012 पर दूसरी मृत्यु घोषणा में अभियोजक के पास है लोहे की छड़ के उपयोग का उल्लेख किया जिससे वह घायल हो गई थी जिसे अदालत ने भी नोट किया है। इस अदालत ने चोटों और चिकित्सा साक्ष्य को नोट किया और निष्कर्ष निकाला कि आरोपी ने लोहे की छड़ का इस्तेमाल किया था। मुख्य निर्णय में इस न्यायालय द्वारा जिन प्रस्तुतियों को उठाया गया है, याचिकाकर्ताओं को उन्हें फिर से उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

37. डी. एन. ए. के संबंध में रिपोर्टों के संबंध में, इस न्यायालय ने डी. एन. ए. की पूरी अवधारणा और प्राप्त रिपोर्टों पर विस्तार से विचार किया। हमला

डी. एन. ए. रिपोर्ट पर रक्त आधान और अन्य प्रस्तुतियों के आधार पर याचिकाकर्ताओं में से, डी. एन. ए. से संबंधित प्रस्तुतियाँ और कुछ नहीं बल्कि प्रस्तुतियों की पुनरावृत्ति हैं जिन्हें इस न्यायालय द्वारा मुख्य निर्णय में नोट और खारिज कर दिया गया है।

38. श्री वी. के. सिंह का तर्क है कि आरोपी विनय शर्मा ने यह बहाना बनाया कि वह एक संगीत कार्यक्रम में शामिल हुआ था।

उनके इलाके में चर्च की एस. सी. सी. इकाई द्वारा व्यवस्था की गई और वे 08 से वहाँ थेः 15 16.12.2012 पर दोपहर से 11.00/12.00 बजे तक और उन्होंने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति साबित करने के लिए वीडियो क्लिपिंग प्रस्तुत की है और इस अदालत द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया है।

39. आरोपी विनय शर्मा द्वारा दी गई बहाना याचिका में कहा गया है कि वह एस. सी. सी. इकाई द्वारा आयोजित संगीत कार्यक्रम में मौजूद था।

उनके इलाके में डी. डी. ए. पार्क में चर्च को पैरास (258) से (269) में विस्तृत रूप से माना गया है। निर्णय के पैरा (267) में, इस न्यायालय ने विनय शर्मा बनाम का उल्लेख किया।

दिल्ली राज्य [अशोक भूषण, जे.]

डी. डी. ए. जिला उद्यान, हौज खास, नई दिल्ली। इस न्यायालय ने सेंट जॉर्ज मणिमाला के पीडब्लू-84 फादर जॉर्ज मणिमाला के साक्ष्य का भी उल्लेख किया है। थॉमस चर्च और पीडब्लू-85 ब्रदर आर. पी. सैमुअल, सचिव, एबेनेज़र असेंबली चर्च जिन्होंने अपदस्थ कर दिया है कि उनके चर्च (एस) ने कभी भी डीडीए डिस्ट्रिक्ट पार्क, हौज में कोई संगीत कार्यक्रम/कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है।

रविवार की शाम को खास यानी 16.12.2012 पर। विचार करते हुए

40. आरोपी विनय शर्मा द्वारा उठाए गए बहाने की याचिका पर भी बस से उठाए गए पैरों के निशान (Ext.P/1) के आलोक में विचार किया गया था। पीडब्लू-46 ए. डी. शाह, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फिंगरप्रिंट), सी. एफ. एस. एल., सी. बी. आई. ने बस से उठाए गए संयोग प्रिंटों की जांच की, जिन्हें "क्यू. 1" और "क्यू. 4" के रूप में चिह्नित किया गया था, जो आरोपी विनय शर्मा के बाएं हथेली के निशान और दाहिने अंगूठे के निशान के समान पाए गए थे। साक्ष्य का उल्लेख करने के बाद पीडब्लू-46 और विशेषज्ञ रिपोर्ट (विस्तार। पीडब्लू-46/डी), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य स्पष्ट रूप से आरोपी विनय शर्मा की उपस्थिति को स्थापित करता है

बस से। इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा बहाना की याचिका पर विचार नहीं किया गया था।

41. इसी तरह, आरोपी विनय शर्मा (Ext.DW-10/1) द्वारा वीडियो क्लिपिंग पर फैसले के पैरा (263) में विचार किया गया, जिसमें इस अदालत ने कहा कि आरोपी विनय शर्मा और आरोपी पवन गुप्ता 08 बजे डी. डी. ए. जिला उद्यान में नहीं थेः 16 16.12.2012 पर अपराह्न।

42. अब, याचिकाकर्ता विनय शर्मा की किशोरता के संबंध में निवेदन पर आते हैं। किशोर के मुद्दे पर निचली अदालत ने विचार किया था

और अभिलेख पर सामग्री के आधार पर विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 किशोर नहीं था। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने निचली अदालत के दिनांकित 10.01.2013 के आदेश का उल्लेख किया है जो पूरी तरह से उसकी प्रस्तुति का समर्थन करता है। निचली अदालत ने पूरी तरह से संतुष्ट होने पर कि याचिकाकर्ता किशोर नहीं है, याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अस्थिकरण परीक्षण के लिए आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया है। इस निवेदन में कोई सार नहीं है और फैसले की समीक्षा करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

43. अब, याचिकाकर्ता संख्या 2 के विद्वान वकील के निवेदन पर आते हैं कि वह घटना के समय किशोर था। उक्त मुद्दे पर निचली अदालत ने भी विचार किया और खारिज कर दिया। निचली अदालत ने अपने समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर सही निष्कर्ष निकाला था कि याचिकाकर्ता संख्या 2 किशोर नहीं था। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने सही ढंग से निचली अदालत की कार्यवाही दिनांक 10.09.2013 का उल्लेख किया है। इस संबंध में यह निवेदन निर्णय की समीक्षा के लिए कोई आधार भी प्रस्तुत नहीं करता है।

44. समापन से पहले हमें यह दोहराने की आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपीलकर्ताओं (याचिकाकर्ताओं) द्वारा दायर आपराधिक अपीलों की सुनवाई इस न्यायालय द्वारा की गई थी, जिसमें उन्हें सभी संभावित प्रस्तुतियों को उठाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। आपराधिक अपीलों की सुनवाई लगभग 38 दिनों तक जारी रही। अपीलार्थियों/याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने विस्तृत प्रस्तुतियाँ की थीं जिन पर हमने अपने मुख्य निर्णय में विधिवत विचार किया था। इन पुनरीक्षण याचिकाओं में ऐसा कोई आधार नहीं बनाया गया है जो निर्णय की पुनरीक्षण के लिए कोई आधार प्रस्तुत कर सके। हम, इस प्रकार, इन समीक्षा याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और परिणामस्वरूप, समीक्षा याचिकाएं हैं

बर्खास्त कर दिया। अंकित ज्ञान

पुनरीक्षण

याचिकाएँ खारिज कर दी गईं।